अपील /20/2023 न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

1—मानसिंह पुत्र चिम्मन
2—केशवदेव पुत्र चिम्मन
3—भूरीसिंह पुत्र चिम्मन
4— वासुदेव पुत्र रघुनाथ
5— महेशचंद पुत्र रघुनाथ

जाति जाट निवासी बीलोठ तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0

.....अपीलान्ट

बनाम

1—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर
2—नायव तहसीलदार भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 25.7.2023 न्यायालय नायव तहसीलदार लखनपुर बाबत आराजी खसरा नम्बर 342/0.10 है0 में से 0.05 ग्रांम बीलौठ तहसील नदबई

उपस्थित :—
1—श्री प्रमोद उपमन , अभिभाषक अपीलान्ट,
2—पैरोकार सरकार रेस्पो

निर्णय दिनांक 26.06.2024

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्व रेस्पो0 व खिलाफ आदेश दिनांक 25—07—2023 नायव तहसीलदार लखनपुर, तहसील नदबई पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को विवादित आराजी खसरा नम्बर 342 रकबा 0.10है0 में से 0.05 हे. पर किये गये अतिक्रमण से बेदखल किये जाने पैनल्टी कायम किये जाने की आज्ञा दी गई है। नायव तहसीलदार लखनपुर की उक्त आज्ञा से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तहत पत्रावली तलब की गई एवं रेस्पो की तलबी की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि विवादित आराजी पर अपीलान्टान का पुराना कब्जा चला आरहा है। प्रार्थीयान ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 342 को आबादी में परिवर्तित कराने हेतु दिनांक 22.9.2021 को माननीय संभागीय आयुक्त महोदय को

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

आवेदन पेश किया हुआ है। परन्तु तहत न्यायालय ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनका यह भी कहना है कि ग्रांम पंचायत परसवारा की बैठक दिनांक 5.7.2021 के प्रस्ताव संख्या–3 के अनुसार आराजी को आबदी मे परिवर्तित कराने का निर्णय लिया गया है। हल्का पटवारी द्वारा भी इस सम्बन्ध अपनी रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष पेश की गई, इस पर तहत न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया। प्रार्थीगण द्वारा तहत न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजात पर कोई ध्यान नहीं दिया और जबाब पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अदालत तहत ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह काबिल खारिज के रहता है। अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

पैरोकार सरकार ने अपने तर्को में जाहिर किया कि अपीलान्टान ने विवादित आराजी राजकीय भूमि पर गैंतबाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया गया है। नायव तहसीलदार ने अतिक्रमीयों के खिलाफ नोटिस वगे0 जारी कर विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश सही पारित किया है, अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की ।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनो पर गौर किया। तहत न्यायालय की पत्रावली में शामिल रिपोर्ट पटवारी से स्पष्ट है कि अपीलान्टान ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 342 रकवा 0.10हे0 में 0.05 है0 पर गैतबाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया गया है। नायव तहसीलदार ने अतिक्रमीयों के खिलाफ विधिवत कार्यवाही हेतु आदेश पारित किया है। अपीलान्टान की ओर से हमारे समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे विवादित आराजी, आबादी की होना साबित होता हो। अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार की त्रुटि नही पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्टान खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 26–06–2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर